प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
   प्र.इ.रि.स ....324/2022.... दिनांक ....24/8/2022....

2. (1) अधिनियम धाराए– 13 (1) (ई), 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 एवं 13 (1) (बी), 13 (2) पी.सी. (संशोधन) एक्ट 2018
   (2) अधिनियम धाराएं –
   (3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या ....428.... समय ....1:15 P.M....
   (2) अपराध के घटने का दिन दिनांक 28–06–1996 से 09–09–2020 तक
   (3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 09–09–2020

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटना स्थल : –
   (1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 415 किलोमीटर
   (2) पता – मकान नम्बर 9, जैन कॉलोनी, न्यू भूपालपुरा उदयपुर।
   ....–............... बीट संख्या ....–.......... जरायमदेही संख्या .....–....
   (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –जरिये सरकार पुलिस निरीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो उदयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
   श्री प्रेमप्रकाश महावर पुत्र श्री भूरालाल महावर, उम्र 50 साल मूल निवासी गली नं. 8, नई बस्ती सोगरिया पुलिस थाना रेलवे कॉलोनी, कोटा हाल निवासी 9 जैन कॉलोनी, न्यू भूपालपुरा, उदयपुर तत्कालीन सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बांसवाड़ा (राज.)।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
–	–	–	–

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – आरोपी द्वारा अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर अपने सेवाकाल के दौरान आय के ज्ञात स्त्रोतों से कुल 15,75,660 रूपये की अधिक परिसम्पतियां अर्जित करना ।

11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय,

निवेदन है कि परिवादी श्री मोहम्मद युसुफ पुत्र मोहम्मद जहूर, उम्र 58 साल निवासी ए–64, आजाद कॉलोनी नाहरी का नाका शास्त्रीनगर जयपुर से दिनांक 09–09–2020 को 65,000 रूपये मांगकर रिश्वत लेते हुए आरोपी श्री प्रेमप्रकाश महावर सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग बांसवाड़ा को रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री प्रेमप्रकाश महावर सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बांसवाड़ा एवं अन्य के विरूद्ध ब्यूरो में ट्रेप प्रकरण संख्या 201/2020 दिनांक 11–9–2020 पंजीबद्ध कराया गया।

उक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान ही दिनांक 09–09–2020 को आरोपी श्री प्रेमप्रकाश महावर के रिहायशी मकान नम्बर 09 जैन कॉलोनी न्यू भूपालपुरा उदयपुर की खानातलाशी ली गई थी। उक्त खानातलाशी में आरोपी के परिसम्पति एवं बैक खाते से सम्बन्धित दस्तावेज मिले। उक्त खानातलाशी की जांच में पाया गया कि आरोपी श्री प्रेमप्रकाश महावर दिनांक 28–6–1996 को राज्य सेवा में कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्त हुआ। आरोपी श्री प्रेमप्रकाश महावर के एक पुत्र श्री साहिल महावर व एक पुत्री भूमि महावर होना पाया गया, जो कि ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी के पुत्र श्री साहिल महावर विदेश में अध्ययनरत होना ज्ञात हुआ।

आरोपी के खानातलाशी की जॉच के दौरान आरोपी एवं आरोपी की पत्नी श्रीमती रेखा महावर के आय से सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त किये गये। जिसमें आरोपी की शुद्ध वैतनिक आय 64,53,361 रूपये तथा आरोपी की पत्नी की आयकर दस्तावेजों के आधार पर कुल 31,15,000 रूपये शुद्ध वैतनिक आय प्राप्त होना ज्ञात हुआ। इस प्रकार आरोपी एवं आरोपी के परिवार के सदस्यों की कुल आय 95,68,361 रूपये होना पाया गया है जो प्रपत्र 'स' के अनुसार है।

आरोपी के द्वारा स्वयं के नाम एवं परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित की गई परिसम्पतियों के सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त किये गये। प्राप्त दस्तावेजो के आधार पर आरोपी एवं उसके परिवार के सदस्यों के नाम कुल 65,37,686 रूपये की परिसम्पति अर्जित करना पाया गया जो कि प्रपत्र ''ब'' के अनुसार है।

जांच के दौरान आरोपी के द्वारा स्वयं एवं उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर किये गये व्यय की गणना करने पर आरोपी के द्वारा कुल 46,06,335 रूपये का व्यय करना पाया गया, जो कि प्रपत्र ''द'' के अनुसार है।

इस प्रकार आरोपी श्री प्रेमप्रकाश महावर, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग बांसवाडा को आलोच्य अवधि वर्ष 1996 से 09–09–2020 तक ज्ञात स्त्रोतो से प्राप्त आरोपी की आय 95,68,361 रूपये होकर अर्जित सम्पति का मूल्य 65,37,686 रूपये एवं व्यय राशि 46,06,335 रूपये की पाई गई है। अतः सम्पति तथा व्यय राशि का जोड 1,11,44,021 रुपये को उपरोक्त आय 95,68,361 में से घटाने पर 15,75,660 रूपये वैध आय से अधिक की परिसंपतियां पायी गयी जो लगभग 16.46 प्रतिशत है।

इस प्रकार आरोपी श्री प्रेमप्रकाश महावर, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग बांसवाडा के द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर अपनी वैध आय से अधिक की परिसम्पतियां अर्जित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री प्रेमप्रकाश महावर तत्कालीन सहायक अभियंता के विरूद्ध जुर्म धारा 13 (1) (ई), 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 एवं 13 (1) (बी), 13 (2) पी.सी. (संशोधन) एक्ट 2018 के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कराये जाने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

संलग्न– परिशिष्ठ अ, ब, स, द

भवदीय

(हरिश्चंद्र सिंह)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों,
उदयपुर

प्रपत्र "अ"

आरोपित अधिकारी श्री प्रेम प्रकाश महावर, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग बॉसवाडा का प्रथम नियुक्ति दिनांक 28-06-1996 से पूर्व अर्जित सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	कीमत
	- शुन्य -	

आरोपी अधिकारी श्री प्रेमप्रकाश महावर, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग बॉसवाडा द्वारा अपने स्पष्टीकरण में प्रथम नियुक्ति दिनांक से पूर्व सम्पति अर्जित नही करना बताया है तथा न हीं सत्यापन से सम्पति अर्जित करना पाया गया है।

प्रपत्र "ब"

आरोपित अधिकारी श्री प्रेमप्रकाश महावर, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग बॉसवाडा द्वारा चेक अवधि तक अर्जित की गई संपतियों पर किया गया व्यय

क. सं.	विवरण	किमत
1.	आरोपी के निवास मकान नम्बर 09, जैन कॉलोनी न्यू भूपालपुरा उदयपुर पर साजो सामान पर किया गया व्यय 4,99,500/- रूपये	4,99,500/-
2.	आरोपी के निवास पर मिली कुल नगद राशि 7,43,200/- रूपये	7,43,200/-
3.	आरोपी के निवास स्थान की खाना तलाशी के दौरान मिले स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण जिनका मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कुल मूल्य 5,70,660/- रूपये।	5,70,660/-
4.	आरोपी के द्वारा वर्ष 2010 में रिहायशी मकान नम्बर 09, जैन कॉलोनी न्यू भूपालपुरा उदयपुर को कुल 15,85,000/- रूपये में क्रय किया गया। जिसके पंजीयन शुल्क कुल 95,200/- रूपये का व्यय किया गया। इस प्रकार कुल व्यय 16,80,200/- रूपये	16,80,200/-
5.	आरोपी के द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती रेखा महावर के नाम पर वर्ष 2018 में जरिये ईकरार नामा सिद्विप्रिय टाउनशीप ग्राम भदाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में 1375 वर्गफीट का भू खण्ड कुल 7,50,000/- रूपये में क्रय किया गया।	7,50,000/-
6.	आरोपी के पत्नी श्रीमती रेखा महावर के नाम पर वर्ष 2004 में भू खण्ड संख्या 43 कुल 1500 वर्ग फीट ग्राम आनन्दपुरा तहसील लाडपुरा उप तहसील मण्डाना जिला कोटा में जरिये ईकरार नाम 50,000/- रूपये में क्रय किया गया।	50,000/-
7.	आरोपी की पत्नी श्रीमती रेखा महावर के नाम केनरा बैक मधुवन उदयपुर में खाता संख्या 0169101053918 जिसमें दिनांक 09.09.2020 को अन्तिम बैसेंस 2940/- रूपये	2940/-
8.	आरोपी की पुत्री सुश्री भूमि महावर के नाम ऐक्सीस बैक उदयपुर के खाता संख्या 097010100089788 में दिनांक 09.09.2020 को अन्तिम बैलेंस 13,812/- रूपये	13,812/-
9.	आरोपी की पत्नी श्रीमती रेखा महावर के नाम एसबीआई बैक उदयपुर के खाता संख्या 20259667016 में दिनांक 09.09.2020 को अन्तिम बैलेंस 1,69,665 /- रूपये	1,69,665 /-
10.	आरोपी की पुत्री सुश्री भूमि महावर के नाम एसबीआई बैक उदयपुर के खाता संख्या 35225562738 में दिनांक 09.09.2020 को अन्तिम बैलेंस 14,878 /- रूपये	14,878 /-
11.	आरोपी श्री प्रेमप्रकाश महावर के नाम एसबीआई बैक के खाता संख्या 34317435726 में दिनांक 09.09.220 को अन्तिम बैलेंस 1,62,153/- रूपये	1,62,153/-
12.	आरोपी श्री प्रेम प्रकाश महावर के नाम भारतीय जीवन बीमा निमग के पॉलेसी नम्बर 106833628 जिसमें कुल 16,932/- रूपये जमा	16,932/-
13.	आरोपी श्री प्रेम प्रकाश महावर के नाम भारतीय जीवन बीमा निमग के पॉलेसी नम्बर 119891624 जिसमें कुल 70,900/- रूपये जमा	70,900/-
14.	आरोपी श्री प्रेम प्रकाश महावर के नाम भारतीय जीवन बीमा निमग के पॉलेसी नम्बर 146557698 जिसमें कुल 1,71,970/- रूपये जमा	1,71,970/-
15.	आरोपी श्री प्रेम प्रकाश महावर के नाम भारतीय जीवन बीमा निमग के पॉलेसी नम्बर 146557699 जिसमें कुल 1,56,049/- रूपये जमा	1,56,049/-
16.	आरोपी श्री प्रेम प्रकाश महावर के नाम भारतीय जीवन बीमा निमग के पॉलेसी नम्बर 184176548 जिसमें कुल 1,01,520/- रूपये जमा	1,01,520/-
17.	आरोपी की पुत्री सुश्री भूमि महावर के नाम भारतीय जीवन बीमा निमग के पॉलेसी नम्बर 106369551 जिसमें कुल 2,51,959/- रूपये जमा	2,51,959/-

18.	आरोपी के पास एक वरना कार नम्बर आर जे 27 –सी डी –9814 जो 90,069 किलोमिटर चली हुई है। जिसका कुल मूल्य 10,00,000/– रुपये	10,00,000/–
19.	आरोपी के पास एक स्कूटी सूजूकी कम्पनी नम्बर आर जे 27– बी एच –9823 जो दिनांक 09.09.2020 तक 10,623 किलोमीटर चली है। जिसका कुल मूल्य 42,000/– रुपये	67,348/–
20.	आरोपी के पास एक हीरो होण्डा सी.डी. 100 मोटर साईकिल नम्बर आर जे 17–एम–3400 जो दिनांक 09.09.2020 तक 20220 किलोमीटर चली है। जिसका कुल मूल्य 44,000/– रुपये	44,000/–
	कुल	**65,37,686/–**

प्रपत्र "स"

आरोपित अधिकारी श्री प्रेमप्रकाश महावर, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग बॉसवाडा।

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	आरोपी को चैक अवधि मे प्राप्त सकल वेतन मे से आयकर कटोतिया होने के पश्चात शुदा राशि जो वेतन के रूप मे प्राप्त हुई –	64,53,361/–
2.	आरोपी की पत्नी श्रीमती रेखा महावर की शुद्व वेतन से प्राप्त आय	31,15,000/–
	कुल योग	**95,68,361/–**

प्रपत्र "द"

आरोपित अधिकारी श्री प्रेमप्रकाश महावर, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग बॉसवाडा द्वारा किया गया व्यय

क.सं.	विवरण	कीमत
1.	आरोपी द्वारा अपनी आय से किये गये रसोई खर्च पर किया गया व्यय शुद्ध वेतन का 33 प्रतिशत	21,51,120/–
2.	आरोपी द्वारा अपने पुत्र श्री साहील महावर की शिक्षा एवं विदेश में की जा रही शिक्षा पर किये गये कुल व्यय लगभग 15,00,000/– रुपये	15,00,000/–
3.	आरोपी द्वारा अपने पुत्री सुश्री भूमि महावर की शिक्षा पर किये गये कुल व्यय लगभग 2,50,000/– रुपये	2,50,000/–
4.	आरोपी द्वारा अपनी कार एवं दो पहिया वाहनो पर फ्युल खर्च एवं अन्य किया गया अनुमानित व्यय 3,00,000/– रुपये	3,00,000/–
5.	आरोपी द्वारा वर्ष 2010 में हाउस लोन कुल 14,00,000 रुपये प्राप्त किया जाकर दिनांक 09.09.2020 तक ब्याज मय मूल राशि 16,73,715/– रुपये जमा कराये गये है। इस प्रकार आरोपी के द्वारा ब्याज के पेटे कुल 2,73,715 रुपये जमा कराये गये है।	2,73,715 /–
6.	आरोपी द्वारा वरना कार पर लिये गये 8,00,000 /– रुपये का लोन की एवज् में कुल 9,31,500/– रुपये का भुगतान किया गया। इस प्रकार आरोपी द्वारा 1,31,500/– रुपये का ब्याज के रूप में व्यय किया गया।	1,31,500/–
	योग	**46,06,335/–**

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हरिश्चंद्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री प्रेमप्रकाश महावर पुत्र श्री भूरालाल महावर, तत्कालीन सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बांसवाड़ा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 324/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

24.8.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक:- 2836-40 दिनांक 24.8.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।

24.8.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।